आदेश ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 33/2021 (रिव्यू प्रार्थना पत्र)

1.रोहित गौड पुत्र श्री महेन्द्र कुमार शर्मा

पता–147, श्रीरामनगर, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर।

2.मैसर्स दा कन्विनियन्स सर्विसेज ए–6, हनुमान नगर शॉप नम्बर बी–1, मैन सिरसी रोड जयपुर।

बनाम

प्रार्थी ऋणी

रिलाईन्स होम फाईनेन्स लि॰ रजिस्टर्ड ऑफिस रिलाईन्स सेन्टर साउथ विंग छटी मंजील वेस्टन एक्सप्रेस हाईवे सान्ताकुज ईस्ट मुम्बई। ब्रांच अफिस रिलाईन्स होम फाईनेन्स लि॰ मनु उपासना टावर, छठी मंजिल, संसार चन्द्र रोड, जयपुर ।

अप्रार्थी बैंक

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता 1908 आदेश दिनांक 07.09.2020 को रिकाल/रिव्यू करने बाबत।

उपस्थित

1. श्री मोहित दायमा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री गोपेश कुम्भज अधिवक्ता अप्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांक 06.01.2022

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी अधिवक्ता ने इस न्यायालय में धारा 14 सरफेशी एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 192/2020 (किस्म धारा 14 सरफेशी एक्ट) ब उनवानी रिलाईन्स होम फाईनेन्स लि॰ बनाम रोहित गौड में पारित आदेश दिनांक 07.09.2020 को निरस्त किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी वित्तीय संस्था को नोटिस जारी किया गया । मूल मिसल शामिल की गई। अप्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से गोपेश कुम्भज ने उपस्थित हो कर वकालतनामा व जबाब प्रस्तुत किया ।।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
4- प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी रोहित गौड ने अप्रार्थी वित्तीय संस्था को लोन हेतु आग्रह किया एवं दिनांक 17.08.2016 को दो लोन जिसमें पहला लोन संख्या RHLPJOD000041534 .रूपये 62,75,000/–रूपये एवं दूसरा लोन RHLPJOD000041534 रूपये 4,25,000/–का जारी किया गया। ऋणी द्वारा राशि

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

17,89,914/–रूपये एवं 2,14,042/–रूपये कुल राशि 20,03,956/– रूपये वित्तीय संस्थान को चुका दिया है एवं दिनांक 15.11.2018 तक लगातार किश्त देता रहा है फिर भी वित्तीय संस्थान ने दिनांक 17.10.2018 को ही खाते का गलत तरीके से NPA घोषित कर दिये एवं दिनांक 22.10.2018 एवं 26.10.2018 को 2 डिमाण्ड नोटिस अन्तर्गत धारा 13(2) सरफेशी एक्ट जारी कर दिया जो कि कानून के विपरीत है। माननीय ऋण वसूली अधिकरण ने दिनांक 13.12.2019 को दोनों डिमाण्ड नोटिस रद्द करने का आदेश पारित किया। दिनांक 22.01.2020 को प्रार्थी वित्तीय संस्था ने एक नया डिमाण्ड नोटिस अन्तर्गत धारा 13(2) सरफेशी एक्ट जारी किया जिसका जबाब अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 11.02.2020 को दिया। न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 07.09.2020 को इस जबाब दिनांक 11.02.2020 का कहीं वर्णन नहीं है । क्योंकि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र संख्या 192/2020 में महत्वपूर्ण तथ्य इस न्यायालय से छिपाया है। प्रार्थना पत्र संख्या 192/2020 में प्रार्थी वित्तीय संस्था महत्वपूर्ण तथ्य छिपा कर आई है। यहां पर प्रार्थना पत्र के मद संख्या 3 पर गौर किया जाना जरूरी है, जो इस प्रकार है– " यह कि उक्त ऋणी को एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्राथी बैंक ने ऋणी अप्रार्थीगण को दिनांक 22.01.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये तथा प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी अप्रार्थीगण को दिनांक 18.06.2020 को एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये, परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी आज प्रार्थना पत्र दायरी तक अप्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नही करवाई गई व न ही बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था महत्वपूर्ण तथ्य इस न्यायालय से छिपा कर आदेश दिनांक 07.09.2020 पारित कराया है एवं झूठा शपथ पत्र प्रार्थना पत्र के साथ इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जो कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 191, 192, 193 के अन्तर्गत संघीन अपराध है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य एक प्रकरण माननीय ऋण वसूली अधिकरण जयपुर में दिनांक 03.07.2020 से लम्बित है। दिनांक 24.07.2020 को ऋण वसूली अधिकरण ने अप्रार्थी संख्या एक का स्थगन प्रार्थना पत्र निस्तारित एवं खारिज कर दिया था। सरफेशी एक्ट की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र को महत्व दिया गय एवं 9 मदों पर शपथ पत्र देना अनिवार्य है, परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में धारा 14 का मद संख्या 7 व 9 का स्पष्ट उल्लंघन है। चूंकि प्रार्थी वित्तीय संस्था इस न्यायालय के समक्ष महत्वपूर्ण तथ्य छिपा कर आया है एवं इस न्यायालय ने दिनांक 21.08.2020 को अप्रार्थी संख्या 1 को नोटिस जारी किया, परन्तु ट्रेकिंग रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 को कभी नोटिस प्राप्त नही हुआ। प्रस्तुत प्रकरण में तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने गलत तथ्यों पर प्रस्तुत किया है। झूंठा एवं कूट रचित शपथ पत्र पेश कर इस न्यायालय को गुमराह किया है एवं इस न्यायाल से आदेश दिनांक 07.09.2020 प्राप्त कर अप्रार्थी संख्या 1 की सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा दिनांक 25.12.2020 को लिया । यहां यह स्पष्ट करना उल्लेखनीय है कि जब प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी संख्या 1 की सम्पत्ति का कब्जा लिया तब अप्रार्थी संख्या 1 सम्पत्ति पर मौजूद नही था एवं अप्रार्थी संख्या 1 का सारा सामान सम्पत्ति पर ही रखा था, जिसका प्रार्थी वित्तीय संस्था ने पंचनामा तक तैयार नही किया। अतः आदेश दिनांक 7.09.2020 जो कि इस न्यायालय द्वारा बिना अप्रार्थी को सुने पारित किया गया को रिकाल कर निरस्त करने की कृपा करें एवं प्रार्थी को यह आदेश फरमाया जावे कि अप्रार्थी की सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा तत्काल प्रभाव से अप्रार्थी संख्या एक को

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

सौपें। फर्जी शपथ पत्र देने का संज्ञान अन्तर्गत धारा 191, 192 एवं 193 भारतीय दण्ड सहिता श्री आनन्द नोटियान प्राधिकृत अधिकारी रिलाईन्स होम फाईनेन्स लि॰ के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू कर धारा 193 से दण्डित करने का आदेश फरमावे।

5- बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी द्वारा धारा 14 सरफेशी एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र कानूनी रूप से सही एवं सत्य तथ्यों पर पेश किया गया है। जिसमें प्रार्थी द्वारा न तो किसी तथ्य को छिपाया गया है और ना ही मिथ्या तौर पर कोई तथ्य अंकित किया गया है। यहां यह कहना भी आवश्यक है कि प्रार्थी द्वारा आदेश दिनांक 07.09.2020 सही तथ्यों के आधार पर प्राप्त किया गया है जो किसी भी प्रकार से रिकाल नहीं किया जा सकता और ना ही प्रार्थी द्वारा को संघीन अपराध कारित किया गया है। इसलिए प्रार्थी के विरूद्व कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। दिनांक 03.07.2020 से सिक्योरिटाईजेशन एप्लीकेशन नम्बर 138/2020 जिसका उनवान रोहित गौड बनाम रिलाईन्स होम फाईनेन्स लि॰ व अन्य है,प्रतिकूल जिसका माननीय ऋण वसूली अधिकरण जयपुर में लम्बित होना है। जो कि एक तकनीकि अनियमितता है और इसका कोई भी प्रतिकूल प्रभाव ऋणी पर नहीं पडता है। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 07.09.2020 को आदेश पारित किया गया है, जिसकी अनुपालना में प्रार्थी की बन्धक सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 25.12.2020 को लिया गया है। जिसे मिन उत्तरदाता द्वारा आदेश दिनांक 07.09.2020 की यथावता पालना करते हुये वास्तवित कब्जा प्राप्त किया गया तथा कब्जे शुदा सम्पत्ति पर पुलिस की निगरानी में व गवाहों की मौजूदगी में कब्जा प्राप्त किया गया व सामान का पंचनामा बनाया गया है। अतः अप्रार्थी का रिकाल प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के आदेश फरमावें।

6. उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. वित्तीय संस्था द्वारा दिनांक 07.08.2020 को धारा 14 सरफेशी एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया था। जिस पर न्यायहित में अप्रार्थी ऋणियों के विरूद्व की जा रही कार्यवाही बाबत सूचना पत्र जारी किये गये थे, किन्तु अप्रार्थी ऋणी उपस्थित नहीं हुये थे। जिसमें न्यायालय द्वारा अप्रार्थी के स्वामित्व की सम्पत्ति जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिनांक 07.09.2020 को पारित किये जा चुके है। सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत पारित आदेश में रिव्यू किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। ऋणी द्वारा जो बिन्दू रिव्यु प्रार्थना पत्र में उठाये गये है उनको तय किये जाने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। ऋणी माननीय ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। फलस्वरूप प्रार्थी का रिव्यु/रिकाल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

8. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा संबंधित को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

9. आदेश आज दिनांक 06.01.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

6/1/22

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर